


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2566]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2013/कार्तिक 17, 1935

No. 2566]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2013/KARTIKA 17, 1935

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2013

का.आ.3405(अ).— केंद्रीय सरकार, रसायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से का.आ. 1490(अ), दिनांक 13 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, नामतः :—

"2. श्री अराकेल जेम्स कुरियन — निदेशक (संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय रसायनिक आयुध अभिसमय प्राधिकरण)"

[फाइल संख्या सी-1. 40015/4/2013]

डॉ. ए.जे.वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मुख्य अधिसूचना 13 सितम्बर, 2006 के सं. का.आ. 1490(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 11 मई, 2012 के सं. का.आ. 1064(अ) के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

4686 G/2013

(1)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th November, 2013

S.O. 3405(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby amends the notification vide S.O. 1490 (E), dated the 13th September, 2006, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

In the said notification, for serial number 2 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

“2. Shri Arackel James Kurian — Director (Joint Secretary, National Authority, Chemical Weapons Convention)”

[F.No.C-I. 40015/4/2013]

Dr. A.J.V. PRASAD, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published vide S.O. No. 1490 (E), dated 13th September, 2006 and last amended vide S.O. No. 1064 (E) dated 11th May, 2012.